क्रम-संख्या—77

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 24 मार्च, 2005

चैत्र 03, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 476/सात—वि—1-1(क)15-2005

लखनऊ, 24 मार्च, 2005

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 23 मार्च, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2005)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा–6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में, उपधारा (1) में प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

"प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे और उन्हें नगर निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।"

नई धारा 25-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

"25-क इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी –

महापौर उप महापौर या पार्षद होने या बने रहने के लिए विधायकों पर रोक

(क) कोई व्यक्ति महापौर, उप महापौर या पार्षद निर्वाचित किये जाने और होने के लिए अनर्ह हो जाएगा, यदि वह संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो ;

(ख) यदि कोई व्यक्ति महापौर, उप महापौर या पार्षद निर्वाचित हो जाने के पश्चात बाद में खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी पद पर, निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट हो जाय, तो वह अपने निर्वाचन या अपने नाम-निर्देशन की घोषणा के भारत या उत्तर प्रदेश के गजट में प्रथम बार प्रकाशित किये जाने के दिनांक को और ऐसी अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर, ऐसे लिखित नोटिस द्वारा, जिस पर उसके हस्ताक्षर हों, और किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे उस सम्बन्ध में सरकार अधिकृत करे, दिया गया हो, यह सूचित करेगा कि वह किस पद पर कार्य करना चाहता है और उसका इस प्रकार सूचित किया गया वरण अंतिम होगा और उक्त सूचना न देने पर और उक्त अवधि बीत जाने पर वह महापौर, उप महापौर या पार्षद के पद पर न रह जायेगा और तदुपरान्त महापौर, उप महापौर या पार्षद के, जैसी भी स्थिति हो, पद में आकस्मिक रिक्ति हो जायेगी।"

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 9 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9 में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे और उन्हें नगर पालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।"

उद्देश्य और कारण

विकास कार्यकलापों और कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में नामनिर्दिष्ट सदस्यों के विशेष ज्ञान और अनुभव का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से यह विनिश्चिय किया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 को संशोधित कर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के ऐसे सदस्यों को मत देने का अधिकार प्रदान किया जाय। यह भी विनिश्चय किया गया है कि सन् 1959 के उक्त अधिनियम को संशोधित करके किसी ऐसे व्यक्ति, जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, को महापौर, उप महापौर या पार्षद निर्वाचित किये जाने या होने के लिए अनर्ह करने की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 476(2)/VII-V-1-1(ka)15/2005
Dated Lucknow : March 24, 2005

IN persuance of the provisions of clause [3] of article 348 of the Constitution of India, the governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Swayatta Shasan Vidhi (sanshodhan) Adhiniyam, 2005 [Uttar pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2005] as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Goveror on. March 23, 2005:–

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF GOVERNMENT LAWS (AMENDMENT) Act, 2005

(U.P. Act No. 8 of 2005)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 and the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER-I

Preliminary

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 2005.

CHAPTER-II

Amendment of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959

Amendment of section 6 of U.P. Act no. 2 of 1959

2. In section 6 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, hereinafter in this chapter referred to as the Principal Act, in sub-section (1) for the first proviso the following proviso shall be *substituted*, namely:

"Provided that the persons referred to in clause (b) shall hold office during the pleasure of the State Government and they shall have the right to vote in the meetings of the Corporation."

Insertion of new section 25-A

3. After section 25 of the principal Act the following section shall be inserted, namely:–

"25-A Notwithstanding any thing to the contrary, contained in any other provision of this Act,–

Bar to legislators becoming or continuing as Mayor, Deputy Mayor or Corporator

(a) A person shall be disqualified for being elected at, and for being a Mayor, Deputy Mayor or Corporator, if he is a Member of Parliament or of the State Legislature;

(b) if a person after his election as Mayor, Deputy Mayor or Corporator subsequently elected or nominated to any of the offices referred to in clause (a) he shall on the date of first publication in the *Gazette* of India or of the Uttar Pradesh of the declaration of his election or his nomination, cease and within a period of fourteen days from such notification intimate by notice in writing signed by him and delivered to any person authorized by the Government in this behalf, submit his option, in which office he wishes to serve and any choice so intimated shall be conclusive, failing which he shall upon expiry of said period, to hold, the office of Mayor, Deputy Mayor or Corporator and a casual

vacancy shall thereupon occur in the office of the Mayor, Deputy Mayor or Corporator as the case may be.''

CHAPTER-III

Amendment of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 2 of 1916

4. In section 9 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 for the first proviso the following proviso shall be *substituted*, namely:

''Provided that the persons referred to in clause (d) shall hold office during the pleasure of the State Government and they shall have the right to vote in the meetings of the Municipalities''

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to take advantage of the special knowledge and experience of the nominated members in the implementation of development activities and welfare scheme it has been decided to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 and the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 to give voting right to such members of the corporations, municipal councils and the Nagar Panchayats, It has also been decided to provide for disqualifying a person for being elected as, and for being, a Mayor, Deputy Mayor or corporator who is a Member of Parliament or a Member of the State Legislature by amending the said Act of 1959.

The Uttar Pradesh Local Self-Government Laws (Amendment) Bill 2005 is introduced accordingly.

By order,
D.V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 974 राजपत्र (हि०)–(2435)–2005–597 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 303 सा० विधायी–(2436)–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।